मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग, मंत्रालय,

वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक: **2860 / MPLRS / 2026** भोपाल, दिनांक: **24/09/2026**

प्रति,

समस्त संभागायुक्त/कलेक्टर,

मध्यप्रदेश।

विषय: स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के निष्पादन प्रक्रिया एवं पंजीयन के विस्तृत दिशा-निर्देश के संबंध में।

पृष्ठभूमि

स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत नागरिकों की संपत्तियों का ड्रोन आधारित सर्वेक्षण किया गया है तथा सर्वेक्षण के आधार पर उनकी संपत्तियों के अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं। मंत्रिपरिषद के निर्णय दिनांक 02.06.2026 के आयटम क्रमांक 01 के अनुपालन में शासन की योजना "स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026" का शुभारंभ दिनांक 17.09.2026 को किया गया है।

योजना के अंतर्गत पूर्व में सक्षम राजस्व प्रक्रिया के अनुसार तैयार किये गए अधिकार अभिलेखों में दर्ज भूमिस्वामी अधिकार के आधार पर उक्त अधिकार के पंजीकृत दस्तावेजी अभिलेखीकरण हेतु विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन की प्रक्रिया की जा रही है। योजना के सुचारू, सुव्यवस्थित एवं एकरूप क्रियान्वयन तथा निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवास करने वाले स्वामित्व अभिलेखधारियों के पक्ष में हस्तांतरण विलेखों के निष्पादन एवं निःशुल्क पंजीयन सुनिश्चित करना है। इससे स्वामित्व अभिलेखधारी पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के

समक्ष संपत्ति सम्बन्धी दस्तावेजी आधार को सुदृढ़ करते हुए ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को सुगम बना सकेंगे।

राज्य में इस योजना के अंतर्गत निजी स्वत्व की लगभग 79 लाख संपत्तियों के स्वामित्व अधिकार संबंधी अभिलेखों के निष्पादन एवं पंजीयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का क्रियान्वयन मोबाइल एप्लीकेशनों के माध्यम से किया जाएगा — SAARA mobile app के माध्यम से आवेदन एवं निष्पादन की प्रक्रिया तथा SAMPADA mobile app के माध्यम से पंजीयन की कार्यवाही संपादित की जाएगी।

योजना की पात्रता

ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की योजना दिनांक 24 अप्रैल, 2020 के तहत आबादी भूमि पर निर्मित भूमिस्वामी अधिकार अभिलेखों में जिन निजी व्यक्तियों के नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किये गए हैं, वे इस योजना के अंतर्गत अधिकार अभिलेख के विलेखों के निष्पादन एवं पंजीयन हेतु पात्र होंगे।

सत्यापन और निष्पादन

मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/0015/2026/सात-5 भोपाल, दिनांक 13.08.2026 के द्वारा पटवारियों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकारों में स्वामित्व अधिकार अभिलेख सम्बंधित विलेख के निष्पादन के लिए अधिकृत किया है। अधिकार अभिलेख के विलेखों का निष्पादन भू-खण्डवार किया जाएगा तथा एक ही भू-खण्ड में अधिकार अभिलेख में एक से अधिक हितग्राहियों के नाम दर्ज होने की स्थिति में उस भू-खण्ड से संबंधित सभी हितग्राही द्वितीय पक्षकार के रूप में सम्मिलित होंगे, जिसके लिए भूमिस्वामी यह घोषणा करेगा/करेगी कि भूखंड के संबंध में उसका कोई विवाद नहीं है और उसने उक्त भखंड का पूर्व में कोई अंतरण नहीं किया है तथा भूखंड पर उसका अधिकार वर्तमान में विद्यमान है| किसी प्रकार का विवाद, लंबित नामांतरण/उत्तराधिकार प्रकरण/नाम अथवा पहचान में विसंगति, पूर्व पंजीकृत अंतरण अथवा अन्य राजस्व सम्बन्धी विसंगति पाए जाने पर पटवारी विलेख का निष्पादन नहीं करेगा| ऐसे प्रकरणों का निराकरण MPLRC के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा| निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान, संपदा (SAMPADA) प्रणाली द्वारा स्वतः भू-खण्ड मूल्य की

प्रारंभिक गणना कर तदनुसार स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क की गणना करेगी। SAMPADA प्रणाली में प्रचिलित प्रावधानों के अनुसार की गयी स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क की गणना अनुसार शुल्क का वहन राज्य शासन द्वारा किया जायेगा उक्त बिंदुओं की पुष्टि हो जाने के पश्चात् सम्बंधित विलेख का निष्पादन पटवारी राज्य शासन की ओर से अधिकृत निष्पादक अधिकारी अपनी पदीय हैसियत में तथा सम्बंधित भूमिस्वामी/भूमिस्वामीगण द्वारा किया जायेगा|

निष्पादित अभिलेखों का पंजीकरण

पंजीयन अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित विलेखों का पंजीयन संबंधित अधिसूचित पंजीयन प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। पंजीयन प्राधिकारी स्वत्व संबंधी विवाद का न्याय-निर्णयन करने वाला प्राधिकारी नहीं है तथापि पंजीयन अधिनियम 1908 के अंतर्गत निष्पादन, पहचान एवं अन्य निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं की जांच करना उसका दायित्व होगा| विलेख के निष्पादन के पश्चात् उसका पंजीयन SAMPADA प्रणाली के माध्यम से संबंधित अधिसूचित पंजीयन प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस हेतु पंजीयन विभाग के उप पंजीयकों के आलावा, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-1-6-0006-2026-Sec-2-पांच (CT)(08), दिनांक 06.07.2026 द्वारा संबंधित उप जिले में स्थित तहसील में पदस्थ तहसीलदार / नायब तहसीलदार / प्रभारी तहसीलदार / प्रभारी नायब तहसीलदार को, अधिसूचना क्रमांक एफ-4-1-6-0010-2026-Sec-2-पांच (CT)(12), दिनांक 10.09.2026 द्वारा संबंधित जिले के क्षेत्रांतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त में पदस्थ राजस्व निरीक्षक/प्रभारी राजस्व निरीक्षक को, तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-4-1-6-0010-2026-Sec-2-पांच (CT)(11), दिनांक 10.09.2026 द्वारा सहायक विकास विस्तार अधिकारी /पंचायत समन्वय अधिकारी को उप पंजीयक की शक्तियां प्रदान की गयी हैं, और परिपत्र क्रमांक/ CT/11/1/0008/2026-TECH-IGRS भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर, 2026 के माध्यम से इन अधिसूचित अधिकृत उप पंजीयकों को उनके कर्तव्यों का विवरण दिया गया है।

योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागों एवं अधिकारियों की भूमिका

<u>**राज्य स्तर पर संबंधित विभागों की भूमिका निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:**</u>

क्र.	विभाग का नाम	प्रमुख भूमिका
1	राजस्व विभाग, म.प्र. शासन	नोडल विभाग, प्रशासनिक समन्वय, निष्पादन एवं पंजीयन की प्रक्रिया एवं योजना की समग्र मॉनिटरिंग
2	वाणिज्यिककर विभाग, म.प्र. शासन	पंजीयन एवं मुद्रांक सम्बन्धी समन्यव एवं पंजीयन की प्रक्रिया का मार्गदर्शन
3	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, म.प्र. शासन	पोर्टल/एप्लीकेशन/तकनीकी सहायता एवं सिस्टम संचालन
4	पंचायत राज्य एवं ग्रामीण विकास विभाग	PCO एवं ADEO सम्बन्धी समन्यव एवं पंजीयन की कार्यवाही, शिविरों में स्थानीय स्तर पर सहयोग तथा पंजीयन कार्य की मॉनिटरिंग करना
5	जनसंपर्क विभाग	प्रचार-प्रसार एवं IEC गतिविधियों में सहयोग

<u>**नोडल विभागों की मुख्य भूमिका निम्नानुसार है:**</u>

- <u>**राजस्व विभाग:**</u>
  - **योजना का समग्र समन्वय एवं क्रियान्वयन:** पटवारी द्वारा हितग्राही/आवेदक का सत्यापन एवं SAARA में आवेदन प्रक्रिया; अधिकार अभिलेख एवं भू-अभिलेख को अद्यतन रखना; भूलेख पोर्टल पर राजस्व अधिकारियों का प्रोफ़ाइल अद्यतनीकरण; स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क हेतु अग्रिम राशि की व्यवस्था; विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन की प्रक्रिया; अभियान की प्रगति की जिला एवं राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग।

- <u>**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग:**</u>
  - **SAARA एवं SAMPADA के मध्य IT/System Integration:** आवेदन, सत्यापन एवं डेटा फ़्लो की तकनीकी व्यवस्था; Aadhaar e-KYC, e-Sign/DSC का समन्वय; Digital Signature/HSM infrastructure का संचालन; Dashboard, API, MIS एवं Real-time Monitoring; तकनीकी Helpdesk एवं Support।

- <u>**महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, वाणिज्यिक कर विभाग:**</u>

- **पंजीयन हेतु विभागीय सॉफ़्टवेयर की उपलब्धता:** संबंधित अधिकारियों को पंजीयन संबंधी अधिसूचित करने की व्यवस्था; पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी प्रावधानों का पालन; पंजीयन संबंधी मार्गदर्शन।

जिला/तहसील/पंचायत स्तर पर अधिकारियों की भूमिका निम्नानुसार होगी:

क्र.	अधिकारी	प्रमुख भूमिका
1	कलेक्टर	जिला स्तर पर योजना प्रभारी
2	अपर कलेक्टर	जिला स्तर पर नोडल **अधिकारी**, योजना की समीक्षा एवं समन्वय
3	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	अनुविभागीय स्तर पर नोडल अधिकारी
4	जिले द्वारा नामांकित जोनल अधिकारी	जोन के अंतर्गत समस्त सेक्टर अधिकारियों के कार्यों की निगरानी तथा शिविरों की प्रगति से नोडल अधिकारी को अवगत कराना
5	जिले द्वारा नामांकित सेक्टर अधिकारी	शिविरों की सतत निगरानी, निरीक्षण एवं समन्वय
6	ग्राम पंचायत एवं पंचायत सचिव	व्यापक प्रचार-प्रसार, शिविरों में स्थानीय स्तर पर सहयोग
7	पटवारी (योजना अंतर्गत निष्पादक अधिकारी- पदीय हैसियत)	SAARA एप के माध्यम से आवेदन एवं **सम्बंधित विलेख** का मध्यप्रदेश शासन की ओर से **पदीय हैसियत में** निष्पादन
8	तहसीलदार/नायब तहसीलदार/प्रभारी तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक/PCO एवं ADEO (उप-पंजीयक)	अधिकार अभिलेखों के आधार पर निष्पादित विलेख का SAMPADA एप के माध्यम से पंजीयन

पायलट जिलों में योजना का क्रियान्वयन

योजना की प्रस्तावित प्रक्रिया एवं तकनीकी व्यवस्थाओं के व्यवहारिक परीक्षण हेतु आगर-मालवा, रायसेन, बड़वानी, हरदा एवं अशोकनगर को पायलट जिले के रूप में चयनित किया गया है। प्रत्येक पायलट जिले में 10-10 ग्राम पंचायतों का चयन कर कुल 79 ग्राम में योजना की संपूर्ण प्रक्रिया कैंप मोड में लागू की जा रही है। पायलट चरण के दौरान प्राप्त अनुभव, फीडबैक तथा तकनीकी/व्यावहारिक कठिनाइयों का दस्तावेजीकरण किया जाए। पायलट के परिणामों के आधार पर आवश्यक सुधार कर प्रदेश स्तर पर योजना के व्यापक क्रियान्वयन को सुचारू बनाया जाए।

पंजीकृत विलेखों की प्रिंटिंग एवं वितरण

पंजीकृत विलेख की डिजिटल प्रति संबंधित भूमिस्वामियों को उनके WhatsApp पर उपलब्ध कराई जाएगी। पंजीकृत विलेखों की A4 आकार, 80-100 GSM white paper पर प्रिंटिंग की व्यवस्था जिला स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी। मुद्रण हेतु आवश्यक मानक स्पेसिफिकेशन, प्रिंटिंग फॉर्मेट तथा आवश्यक लिफाफे राज्य स्तर से जिलों को उपलब्ध कराए जाएंगे। मुद्रित पंजीकृत विलेखों के वितरण हेतु पृथक से आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

राज्य स्तरीय हेल्पडेस्क एवं शिकायत निवारण व्यवस्था

योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु राज्यस्तर पर हेल्पडेस्क एवं टोल-फ्री हेल्पलाइन (0755-2780133) की की स्थापना की गयी है| हितग्राही/अधिकारी योजना से सम्बंधित तकनिकी अथवा प्रक्रियात्मक समस्या के निराकरण हेतु टोल फ्री पर संपर्क कर सकेंगे| प्राप्त शिकायतों का Ticket/Complaint ID के माध्यम से पंजीयन एवं Tracking सुनिश्चित की जाएगी। SAARA, SAMPADA एवं Bhulekh से संबंधित तकनीकी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु MPSeDC की सहायता उपलब्ध रहेगी|

IEC एवं जन-जागरूकता गतिविधियाँ

योजना के अंतर्गत आवेदक से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस संबंध में नागरिकों/हितग्राहियों/भूमिस्वामियों के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जन-जागरूकता सुनिश्चित की जाए। इस हेतु राज्य, जिला, तहसील एवं ग्राम पंचायत स्तर पर समन्वित IEC गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी, जिसमें ग्राम सभा आयोजन, ग्राम सचिव द्वारा मुनादी, आवश्यक IEC सामग्री का वितरण एवं CUG SIM पर Caller Tune जैसे माध्यम शामिल होंगे।

बजट प्रावधान

मंत्रिपरिषद् के निर्णयानुसार, स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन हेतु देय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा, अतः पंजीयन के समय द्वितीय पक्षकार/आवेदक से किसी भी प्रकार की शुल्क राशि प्राप्त नहीं की जाएगी। जिला स्तर पर देय राशि विभाग द्वारा संचालित Centralized Wallet से स्वतः डेबिट होगी। वित्त विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अतिरिक्त पंजीयन शुल्क एवं पंचायत उपकर में छूट का प्रावधान किया गया है।

<u>प्रशिक्षण व्यवस्था के माध्यम से क्षमता निर्माण</u>

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण: योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर नामांकित नोडल अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा जिलों को आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स: प्रत्येक जिले द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों में से आवश्यक संख्या में मास्टर ट्रेनर्स नामांकित किए जाएंगे तथा उन्हें राज्य स्तर पर योजना की प्रक्रिया, पोर्टल/एप्लीकेशन एवं दायित्वों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

जिला स्तरीय प्रशिक्षण: राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर्स द्वारा संबंधित जिले में राजस्व एवं पंजीयन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

<u>जिंला स्तर पर समन्वय एव मॉनिटरिंग</u>

योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी द्वारा समस्त संबंधित विभागों, तहसील एवं पंचायत स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के मध्य आवश्यक समन्वय एवं सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा:

- चयनित ग्राम पंचायतों में पंजीयन शिविरों के आयोजन एवं कार्य की दैनिक प्रगति की समीक्षा।
- तहसीलवार एवं पंचायतवार निर्धारित पंजीयन लक्ष्यों की पूर्ति की मॉनिटरिंग।
- पंजीयन कार्य में आने वाली तकनीकी/प्रशासनिक समस्याओं का त्वरित निराकरण एवं आवश्यकतानुसार राज्य स्तर पर प्रकरण प्रेषित करना।
- संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति एवं कार्य निष्पादन की निगरानी।
- शिविरों में आवश्यक इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- भूमिस्वामियों को योजना एवं पंजीयन शिविरों के संबंध में पूर्व सूचना एवं प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना।
- निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मानव संसाधन एवं अन्य व्यवस्थाओं का समन्वय करना।

उपरोक्त योजना की पात्रता, निष्पादन, पंजीयन, क्रियान्वयन, शिकायत निवारण व्यवस्था, बजट एवं मॉनिटरिंग में सहयोग तथा अभिमत वाणिज्यिक कर विभाग एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त किया गया।

उपरोक्तानुसार दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। योजना के परिचालन संबंधी विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पृथक से संलग्न/जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Eathakota Ramesh Kumar
Date: 24-09-2026
16:23:04

(डॉ ई.रमेश कुमार)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ. क्रमांक: **2860 / MPLRS / 2026** भोपाल, दिनांक: **24/09/2026**

प्रतिलिपि -

- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
- उप सचिव, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
- आयुक्त, भू-संसाधन प्रबंधन, मध्यप्रदेश।
- महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश।
- आयुक्त/संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPSeDC), भोपाल।
- समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति (MPLRS), भोपाल।
- गाईड फाइल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026

संदर्भ: राजस्व विभाग, म.प्र. शासन का परिपत्र क्रमांक: **2860/MPLRS/2026**,दिनांक: **24/09/2026**

1. उद्देश्य एवं प्रयोज्यता

यह मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) "स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026" योजना के अंतर्गत पटवारी, तहसीलदार/प्रभारी तहसीलदार /नायब तहसीलदार/ प्रभारी नायब तहसीलदार/ उप-पंजीयक/राजस्व निरीक्षक / प्रभारी राजस्व निरीक्षक / PCO/ ADEO तथा अन्य क्रियान्वयन अधिकारियों द्वारा SAARA एवं SAMPADA मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन, सत्यापन, निष्पादन एवं पंजीयन की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को विस्तार से स्पष्ट करती है। समस्त संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी इस SOP का अनुपालन सुनिश्चित करें।

2. आवश्यक मोबाइल एप्लीकेशन एवं डाउनलोड लिंक

क्रम	मोबाइल एप	डाउनलोड लिंक
1	Bhulekh	https://play.google.com/store/search?q=MP%20bhulekh&c=apps
2	SAARA	https://play.google.com/store/search?q=saara+app&c=apps
3	SAMPADA	https://play.google.com/store/search?q=SAMPADA&c=apps
4	Aadhaar Face RD	https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.facerd
5	CDAC	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdac.authenticator

3. क्रियान्वयन-पूर्व तैयारी (Pre-Implementation Checklist)

1. जिला स्तर पर नोडल अधिकारी, जोनल अधिकारी, सेक्टर अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर्स का नामांकन सुनिश्चित किया जाए।
2. संबंधित भूमिस्वामियों की समग्र पोर्टल पर Aadhaar e-KYC सुनिश्चित की जाए।
3. संबंधित भूमिस्वामियों की भूलेख पोर्टल पर Aadhaar e-KYC एवं Land Linking की कार्यवाही पूर्ण की जाए।
4. तहसीलदार/ प्रभारी तहसीलदार /नायब तहसीलदार/ प्रभारी नायब तहसीलदार/ उप-पंजीयक/राजस्व निरीक्षक / प्रभारी राजस्व निरीक्षक की भूलेख पोर्टल पर Aadhaar आधारित प्रोफाइल अपडेट की कार्यवाही पूर्ण की जाए।

5. पंचायत स्तर पर कार्यरत PCO एवं ADEO का SAMPADA एप पर Aadhaar आधारित प्रोफाइल निर्माण/अपडेट कराया जाए।

6. तहसीलदार/नायब तहसीलदार/प्रभारी तहसीलदार/प्रभारी नायब तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक/PCO एवं ADEO (उप-पंजीयक) हेतु DSC (Digital Signature Certificate) क्रय/प्राप्त किया जाए (बजट शीर्ष: 008-2053-00-093-9999-1509-V-22-008)।

7. जिला प्रशासन एवं MPSeDC के समन्वय से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की HSM (Hardware Security Module) पर Onboarding की कार्यवाही पूर्ण की जाए।

8. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूर्ण कराया जाए।

9. प्रत्येक चयनित पंचायत में विशेष पंजीयन कैंप हेतु सप्ताह में 03 दिवस आयोजित किए जाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए।

10. पंजीयन कैंप के आयोजन हेतु आवश्यक इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

11. कैंप के आयोजन से पूर्व संबंधित नागरिकों/भूमिस्वामियों को योजना एवं पंजीयन प्रक्रिया की पूर्व सूचना देते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

12. संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के मोबाइल उपकरणों में Bhulekh, SAARA एवं SAMPADA एप्लीकेशन का डाउनलोड एवं इंस्टॉलेशन सुनिश्चित किया जाए।

4. कैंप मोड में क्रियान्वयन की प्रक्रिया

1. पंजीयन कार्य में तेजी लाने तथा नागरिकों को स्थानीय स्तर पर सुगम एवं समयबद्ध सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पंचायत भवन को केंद्र बनाकर कैंप मोड में पंजीयन कार्य संपादित किया जाएगा।

2. प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत के शिविरों की समय-सारणी तैयार कर राज्य मुख्यालय के नोडल अधिकारी को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराई जाए।

3. प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत में निर्धारित तिथियों एवं दिवसों के अनुसार पंजीयन शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

4. शिविर के आयोजन से पूर्व भूमिस्वामियों/आवेदकों को शिविर की तिथि, समय, स्थान की जानकारी ग्राम सचिव द्वारा कम से कम एक दिवस पूर्व उपलब्ध कराई जाए।

5. प्रत्येक शिविर में इंटरनेट कनेक्टिविटी, वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था, पेयजल एवं बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

6. शिविर के दौरान पटवारी द्वारा आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक सत्यापन तथा पक्षकारों एवं गवाहों के e-Sign की कार्यवाही पूर्ण की जाए।
7. शिविरों में आवेदकों की Aadhaar e-KYC भूलेख पोर्टल अथवा भूलेख एप के माध्यम से की जाए।
8. शिविरों में योजना की प्रगति की दैनिक रिपोर्टिंग संबंधित सेक्टर अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाए।
9. सेक्टर अधिकारियों द्वारा शिविरों की नियमित निगरानी एवं समन्वय किया जाए तथा समस्याओं का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

5. पटवारी द्वारा हितग्राही/आवेदक की पहचान की पुष्टि (सत्यापन बिंदु)

आवेदन प्राप्त करते समय पटवारी द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं की आवश्यक जाँच एवं पुष्टि की जाएगी:

1. हितग्राही/आवेदक की पहचान की पुष्टि की जाएगी।
2. संबंधित अधिकार अभिलेख/खसरे का सत्यापन किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदन संबंधित खसरे एवं भूमिस्वामी से ही संबंधित है।
3. धारक द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 22-क की घोषणा की जाएगी कि धारक द्वारा संपत्ति किसी अन्य को विक्रय / अंतरित नहीं की गई है।
4. धारक द्वारा स्वयं से संबंधित विवरण की पुष्टि की जाएगी तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकृत निष्पादक अधिकारी द्वारा शासन से प्रदत्त निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपनी पदीय हैसियत में सद्भावनापूर्वक विलेख का निष्पादन किया जाएगा।
5. अधिकार अभिलेख/खसरे एवं Aadhaar में दर्ज भूमिस्वामी के नाम का मिलान किया जाएगा।
6. नाम में अंतर पाए जाने पर उपलब्ध अभिलेखों (पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि) के आधार पर पहचान की पुष्टि की जाएगी।
7. पटवारी द्वारा उपरोक्त पुष्टि के आधार पर निष्पादन की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी तथा SAARA App के माध्यम से भू-खण्ड का सत्यापन कर प्रारूप विलेख का निष्पादन किया जाकर पंजीयन हेतु Final Submit किया जाएगा।
8. नाम की पुष्टि न होने पर आवेदन दर्ज नहीं किया जा सकेगा तथा ऐसे प्रकरणों का निराकरण MPLRC के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा|

6. SAARA मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया

चरण 1: ग्राम एवं भूखंड का चयन

1. SAARA ऐप के डैशबोर्ड पर "स्वामित्व दस्तावेज़ आवेदन" विकल्प का चयन करें।
2. स्क्रीन पर संबंधित ग्रामों की सूची (नाम व LGD कोड सहित) प्रदर्शित होगी; संबंधित ग्राम पर क्लिक करें।
3. चयनित ग्राम के अंतर्गत उपलब्ध भूखंडों की सूची (प्लॉट नंबर, ब्लॉक नंबर, भूस्वामी का नाम, क्षेत्रफल एवं पार्सल आईडी सहित) प्रदर्शित होगी; संबंधित भूखंड का चयन करें (आवश्यकतानुसार सर्च सुविधा का उपयोग करें)।

चरण 2: भूस्वामी विवरण एवं आधार e-KYC प्रारंभ करना

1. चयनित भूखंड के "भूस्वामी" टैब में प्रत्येक भूस्वामी का विवरण (आधार फोटो, नाम, पिता/पति का नाम, हिस्सा एवं e-KYC स्थिति) प्रदर्शित होगा।
2. भूस्वामी के नाम के नीचे "आधार e-KYC करें" विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 3: आधार e-KYC सत्यापन

1. सहमति (Consent): आधार प्रमाणीकरण व ई-पंजीकरण/ई-स्टाम्प संबंधी दोनों घोषणा/सहमति बॉक्स पर टिक करें।
2. "OTP जनरेट करें" पर क्लिक करें; भूस्वामी के आधार-लिंक मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा।
3. प्राप्त OTP दर्ज कर "OTP सत्यापित करें" पर क्लिक करें।
4. सत्यापन सफल होने पर "आधार e-KYC पूर्ण" संदेश प्रदर्शित होगा।

चरण 4: वीडियो e-KYC रिकॉर्डिंग एवं सत्यापन

1. "वीडियो रिकॉर्ड करें" तथा "रिकॉर्ड शुरू करें" बटन दबाएं।
2. स्क्रीन पर प्रदर्शित/पढ़े गए सहमति कथन को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद भूस्वामी "हाँ" बोलकर स्पष्ट सहमति प्रदान करेगा (उदाहरण: "क्या आप <<भूस्वामी का नाम>>, <<पिता का नाम>>, ग्राम <<ग्राम>> के भूखण्ड क्रमांक <<क्रमांक>> से संबंधित दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं?")।
3. कथन पूर्ण होने पर "रिकॉर्डिंग रोकें" दबाएं; आवश्यकता होने पर "वीडियो देखें" या "पुनः रिकॉर्ड करें" का उपयोग करें।

4. नाम मिलान करें: स्वतः मिलान न होने पर सिस्टम द्वारा पूछे जाने पर भूलेख पोर्टल एवं Aadhaar में दर्ज नाम के आधार पर पहचान की पुष्टि हेतु हाँ/ना का चयन करें।

5. सही पाए जाने पर "सुरक्षित करें और आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।

<u>चरण 5</u>: वीडियो अपलोड, पूर्वावलोकन एवं अंतिम सबमिशन

1. स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क देय पूर्व परिक्षण हेतु पंजीयन प्रारूप प्रदर्शित होगा, जिसे OK चयन, उपरांत पंजीयन शुल्क का सेंट्रल वॉलेट से राशि का भुगतान होगा।

2. सभी भूस्वामियों के रिकॉर्ड किए गए वीडियो "वीडियो अपलोड करें" बटन से अपलोड करें।

3. सुधार शेष हो तो "ड्राफ्ट सेव करें"; अन्यथा "सबमिट करें" पर क्लिक करें।

4. आवेदन सफल होने पर "आवेदन सफल" संदेश एवं Application ID प्रदर्शित होगी; "आगे बढ़ें" से सत्यापन पेज पर जाएं।

7. SAARA मोबाइल एप के माध्यम से सत्यापन की प्रक्रिया

<u>चरण 1</u>: सत्यापन हेतु आवेदन का चयन

1. SAARA डैशबोर्ड पर "स्वामित्व दस्तावेज़ सत्यापन एवं सबमिशन" विकल्प चुनें।

2. संबंधित ग्राम (LGD कोड सहित) का चयन करें; सत्यापन हेतु लंबित आवेदनों की सूची प्रदर्शित होगी।

3. आवेदन आईडी, भूस्वामी का नाम, प्लॉट/ब्लॉक संख्या एवं क्षेत्रफल का मिलान कर "सत्यापन हेतु आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।

<u>चरण 2</u>: भूस्वामी का विवरण एवं वीडियो सत्यापन

1. भूमि जानकारी (पार्सल आईडी, प्लॉट/ब्लॉक संख्या, क्षेत्रफल) एवं भूस्वामी विवरण की जाँच करें।

2. भूस्वामी के e-KYC/आधार e-KYC की स्थिति की पुष्टि करें।

3. "रिकॉर्ड किया वीडियो देखें" पर क्लिक कर वीडियो का परीक्षण करें — सही पाए जाने पर "सत्यापन सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ" दर्ज होगा; मानकों के अनुरूप न होने पर भूस्वामी को पुनः रिकॉर्डिंग हेतु सूचित किया जाएगा।

<u>चरण 3</u>: गवाह जोड़ना एवं पटवारी विवरण सत्यापन

1. दस्तावेज़ की ऑनलाइन प्रस्तुति हेतु 2 गवाह जोड़ना आवश्यक है — नए गवाह हेतु समग्र-लिंक मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP सत्यापित करें; पूर्व-जोड़े गवाह ड्रॉपडाउन से चुनें।

2. पटवारी स्वयं अपना समग्र-लिंक मोबाइल नंबर दर्ज कर "डेटा प्राप्त करें" पर क्लिक कर अपना विवरण सत्यापित करें।

<u>चरण 4</u>: चतुर्सीमा एवं लागू उपबंधों का सत्यापन

1. चारों दिशाओं (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम) की सीमाओं का राजस्व अभिलेखों से मिलान करें।

2. ड्रोन फोटो का अवलोकन कर लागू उपबंध (राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, मुख्य जिला मार्ग/पक्की सड़क अथवा कॉर्नर प्लॉट) के चेकबॉक्स सत्यापित करें; कोई उपबंध लागू न हो तो चेकबॉक्स रिक्त रखें।

3. पुष्टि के उपरांत "सेव कर आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।

<u>चरण 5</u>: स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस का भुगतान

1. गाइडलाइन विवरण, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस विवरण देखें (नोट: नगरीय निकाय शुल्क, जनपद शुल्क एवं उपकर शून्य निर्धारित हैं)।

2. विवरण सही पाए जाने पर "भुगतान की पुष्टि करें" पर क्लिक करें; पॉप-अप में "हाँ" चुनें।

3. केन्द्रीय वॉलेट से स्वतः भुगतान होने पर "भुगतान सफल रहा" संदेश प्राप्त होगा; "ठीक है" पर क्लिक करें।

<u>चरण 6</u>: पटवारी वीडियो रिकॉर्डिंग, विलेख e-Sign एवं अंतिम सबमिशन

1. "डीड दस्तावेज़ देखें" पर क्लिक कर तैयार विलेख का पूर्ण परीक्षण करें।

2. पटवारी "वीडियो रिकॉर्ड करें" पर क्लिक कर सहमति कथन सुनने के बाद स्पष्ट रूप से "हाँ" बोलकर सहमति दर्ज कराएं (उदाहरण: "क्या आप <<पटवारी का नाम>> पटवारी हल्का <<हल्का का नाम>>, ग्राम <<ग्राम>> के भूखण्ड क्रमांक <<क्रमांक>> से संबंधित दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं?") — रिकॉर्डिंग पूर्ण होने पर वीडियो अपलोड करें।

3. वीडियो अपलोड होने पर "e-Sign करें" सक्रिय होगा — विलेख के अंतिम पृष्ठ पर "ई-साइन के लिए आगे बढ़ें" चुनें, "चेहरा प्रमाणीकरण (Face Authentication)" के माध्यम से C-DAC/आधार फेस RD से डिजिटल हस्ताक्षर पूर्ण करें; सभी अधिकारधारी (भूस्वामियों) के ई-साइन भी इसी प्रकार पूर्ण कराएं।

4. सभी पक्षों के ई-हस्ताक्षर पूर्ण होने पर "रजिस्ट्री प्रस्तुत करें / पंजीयन हेतु सबमिट करें" पर क्लिक कर पुष्टि हेतु "हाँ" चुनें — सफल पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा तथा आवेदन स्वतः SAMPADA 2.0 पर पंजीयन अधिकारी की लॉगिन में अग्रेषित हो जाएगा।

8. SAMPADA मोबाइल एप के माध्यम से पंजीयन विलेख प्रक्रिया

<u>चरण 1</u>: लॉगिन एवं लंबित आवेदन का चयन

1. संपदा 2.0 मोबाइल ऐप में विभागीय क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करें।
2. होम स्क्रीन पर "स्वामित्व रजिस्ट्री पूर्णता" विकल्प चुनें और "लंबित आवेदन" टैब पर जाएं।
3. संबंधित ग्राम (नाम, LGD कोड, पटवारी एवं लंबित आवेदनों की संख्या) देखें, ग्राम के सम्मुख संख्या पर क्लिक करें।
4. आवेदन आईडी, भूस्वामी का नाम अथवा पार्सल आईडी से लक्षित प्रकरण खोजें और "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।

<u>चरण 2</u>: दस्तावेज़ का पूर्वावलोकन

1. जनरेट हुए विलेख (डीड दस्तावेज़) का अवलोकन करें।
2. विषयवस्तु सही पाए जाने पर घोषणा चेकबॉक्स ("प्रदर्शित दस्तावेज़ सही एवं स्वीकार्य है") चुनें और "स्वीकार करें और आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।

<u>चरण 3</u>: पक्षकार विवरण अवलोकन एवं वीडियो परीक्षण

1. **शासन की ओर से** निष्पादक (पटवारी) तथा द्वितीय पक्षकार (अधिकार अभिलेख में दर्ज भूस्वामी) के विवरण की जाँच करें।
2. "प्रस्तुत वीडियो देखें" पर क्लिक कर सहमति वीडियो का परीक्षण करें; विसंगति होने पर "सत्यापन टिप्पणियाँ" में प्रविष्ट करें।
3. विवरण संतोषप्रद होने पर "पंजीकरण हेतु आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।

<u>चरण 4</u>: ई-प्रमाणीकरण एवं पंजीकरण

1. डीड के अंतिम भाग पर जाकर "अंत तक जाएं" एवं "e-Sign के लिए आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।
2. ई-साइन प्रमाणीकरण विधि चुनें — आधार फेस प्रमाणीकरण (Aadhaar FaceRD/C-DAC) द्वारा बायोमेट्रिक मिलान, अथवा OTP प्रमाणीकरण द्वारा पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त आधार OTP की प्रविष्टि कर पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करें।